



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले 02 अभियुक्त को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹6000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-2125/2013 धारा-308/325/323/504/506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.दयाराम पुत्र सैयद्दीन खंगार 2.सीताराम पुत्र छुटकू खंगार निवासीगण मु0 उछाथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को धारा 323/325 भा0द0सं0 में दोष सिद्ध करते हुए 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹6,000 अर्थदंड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
एडीजीसी राजेश कुमार
तिवारी



विवेचक-
उ0नि0 बलवीर
सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह